आपको अधिकार है:

- अपने अधिकारों और जिस व्यक्ति का आप
 समर्थन कर रहे हैं उसके अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का
- सटाफ़ दवारा आपके विचारों को समझने का
- सूचनीय घटनाओं के बारे में सूचित किए जाने का
- जिस व्यक्ति का आप समर्थन कर रहे हैं
 उनके उपचार और देखभाल में शामिल होने
 और उस बारे में जानकारी प्राप्त करने का
- आप द्वारा समर्थित व्यक्ति को छुट्टी प्रदान करने से पहले आप के साथ परामर्श किए जाने का
- आप द्वारा समर्थित व्यक्ति की ओर से एक और राय लेने का अन्रोध करने का
- व्यक्ति की बातचीत करने की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रतिबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करने का
- कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श में गोपनीयता का
- मानसिक स्वास्थ्य ट्रिब्यूनल से रोगी की अनैच्छिक स्थिति की समीक्षा का अनुरोध करने का (फ़ो: 08 6145 3900)
- मानसिक स्वास्थ्य ट्रिब्यूनल को दिए गए आवेदन और उसकी सुनवाई के बारे में अधिसूचना का
- मानसिक स्वास्थ्य ट्रिब्यूनल के सामने रखे
 गए मामलों पर आपके विचार सुने जाने का
- व्यक्ति का प्रतिनिधित्वि करने, या मानसिक स्वास्थ्य ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रतिनिधित्वि कराने का
- यदि आप अप्रसन्न हैं तो मानसिक स्वास्थ्य सेवा या स्वास्थ्य और विकलांगता सेवा शिकायत कार्यालय (हैल्थ एंड डिसेबिलिटिी सर्विसस् कम्पलेंट्स आफ्सि) (एचएडीएससीओ) को शिकायत करने का (फ़ी: 1800 813 583)।

अतरिकित जानकारी

इस विवरणिका में दी गई जानकारी मानसिक स्वास्थ्य अधनियम 2014 में निर्धारित कानूनों से संबंधित है। अधनियम के बारे में जानकारी निम्नलिखिति पुस्तिकाओं के सेट में संकर्षप से दी गई है:

- जाँच के लिए एक मनोचिकित्सिक के पास
 भेजा जाना
- भर्ती रोगी (इनपेशेंट) उपचार आदेश
- सामुदायिक उपचार आदेश
- स्वैच्छिक रोगियों के लिए जानकारी
- मानसिक बीमारी का इलाज कराना
- नजी सहायक व्यक्तियों के लिए जानकारी
- नामति व्यक्तिः नामांकन कैसे किया जाए
 और इसका क्या मतलब है।

अन्य वविरणिकाएं:

- द मेन्टल हैल्थ ट्रिब्यूनल
- द मेन्टल हैल्थ एडवोकेसी सर्वसि
- द मेन्टल हैल्थ लॉ सर्विस से उपलब्ध हैं। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियिम 2014 और अन्य संसाधनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए मानसिक स्वास्थ्य आयोग (मेन्टल हैल्थ कमीशन) की वेबसाइट www.mhc.wa.gov.au पर जाएँ या (08) 6272 1200 पर फोन करें।

This document can be made available in other languages and alternative formats on request.

Published by the Mental Health Commission (2015)

नजी सहायक व्यक्तयों के लिए जानकारी



यदि आप मानसिक बीमारी का इलाज करा रहे किसी व्यक्ति के देखभाल कर्ता, परिवार के करीबी सदस्य, माता-पिता, अभिभावक या नामिति व्यक्ति हैं तो आप एक 'निजी सहायक व्यक्ति' हो सकते हैं।

यह विवरणिका आपकी भूमिका के साथ-साथ आपके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

नजी सहायक व्यक्तयों के लिए जानकारी

एक नजी सहायक व्यक्त कौन है?

आप रोगी के नजी सहायक व्यक्ति माने जाते हैं यदि आप उनके:

- देखभाल कर्ता है (ऐसा व्यक्त जो अवैतनिक होता है और रोगी को अविरत देखभाल प्रदान करता है)
- परिवार के करीबी सदस्य हैं (एक रिश्तेदार जो रोगी को अवरित देखभाल प्रदान करता है)
- बच्चे के माता-पता या अभिभावक हैं
- वयस्क के अभिभावक या स्थायी अभिभावक हैं
- नामति व्यक्ति हैं (ऐसा व्यक्ति जिसे रोगी औपचारिक रूप से फ़ार्म12 ए द्वारा नामांकित करता है)।

आपकी क्या भूमिका है?

आप जिस व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं उसके इलाज और देखभाल में शामिल होने के हकदार हैं, जिसमें शामिल है:

- उपचार और देखभाल के लिए विकल्पों पर विचार करना
- व्यक्ति को सहायता उपलब्ध कराना, और
- उनके इलाज, समर्थन और छुट्टी की योजना की तैयारी और समीक्षा करना।

आप कर्मचारियों को बता सकते हैं कि आप किस हद तक शामिल होना चाहते हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति का समर्थन करते समय आप मानसिक स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनुभव और विशेषज्ञता का भी सम्मान करें। सहायक व्यक्तियों को रोगी और स्टाफ़ दोनों द्वारा अच्छी तरह से अवगत होना चाहिए ताकि संतुलित निष्कर्षों पर पहुंचा जा सके।

आपको क्या जानकारी मलिगी?

आप जिस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं उसके बारे में निजी सहायक व्यक्ति के नाते निम्नलिखिति जानकारी के हकदार है:

मानसिक बीमारी जिसके लिए उनका इलाज इलाज चल रहा है, उपचार के विकल्प और किसी भी दिए गए इलाज पर उनकी प्रतिक्रिया,

- वे आधार जिन पर कोई भी इनपेशेंट उपचार आदेश या सामुदायिक उपचार आदेश दिया गया था,
- कोई भी स्थिति जिसमें एकांतवास या शारीरिक संयम का प्रयोग किया गया था, और
- उनकी ज़र्रतों को प्रा करने के लिए उपलब्ध सेवाएँ।

स्टाफ़ आपको यह जानकारी देने के लिए आपसे और / या अन्य निजी सहायक व्यक्ति से संपर्क करने के लिए उचित प्रयास करेगा। यद जिस व्यक्ति की आप देखभाल कर रहे हैं, उसके कई देखभाल करने वाले और अन्य निजी सहायक व्यक्ति हैं, तो उन लोगों में से एक को हो सकता है कि यह जानकारी दे दी गई हो।

कब आपको सूचित या इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है?

आम तौर पर स्वैच्छिक रोगी तय कर सकता है कि उसके निजी सहायक व्यक्तियों को स्चिति या शामिल किए जाने के लिए वह सहमत है या नहीं। लेकिन यदि स्वैच्छिकि रोगी यह निर्णय करने में सक्षम होने के लिए इतना स्वस्थ नहीं है तो आपको स्चिति / शामिल किया जाएगा जब तक कि यह रोगी के सर्वोत्तम हित में न हो।

ज्यादातर मामलों में स्टाफ़ अनैच्छिक रोगी के नजी सहायक व्यक्तयों को सूचित और शामिल करेंगे। ये अपवाद हैं:

- यदि यह अनैच्छिकि रोगी के सर्वोत्तम हित में नहीं है; या
- यदि अनैच्छिकि रोगी आपको सूचित या शामिल करने के लिए सहमत नहीं है, और मनोचिकित्सिक फैसला करता है कि वे यह निर्णय करने में सक्षम हैं और यह उचित है।

सूचनीय घटनाएँ

आपसे समर्थित व्यक्ति को निम्नलिखिति 'सूचनीय घटनाओं' में से कुछ भी होता है तो आपको सूचिति / शामिल किए जाने के आपके अन्य अधिकारों के अलावा, कम से कम एक निजी सहायक व्यक्ति को, हर बार अवश्य सूचित किया जाना चाहिए:

- निरोध आदेश, इनपेशेंट उपचार आदेश या सामुदायिक उपचार आदेश, बनाया, निरस्त किया गया है (रद्द), या समाप्त हो रहा है
- मनोचिकित्सिक द्वारा जाँच के बाद, कोई भी अन्य आदेश किया जाता है,
- उन्हें रोके जाने के बाद छोड़ दिया है
- परविहन आदेश दिया गया है
- उन्हें एक से दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर रहे हैं
- वे बिना छुट्टी के अनुपस्थित हैं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है या छुट्टी बढ़ा दी गई है, बदल या खुद कर दी गई है
- इनपेशेंट उपचार आदेश के अधीन होते हुए उन्हें ततकाल गैर मनोरोग उपचार दिया गया था।

आपको (या किसी अन्य सहायक व्यक्ति को) इन घटनाओं के बारे में स्चिति किया जाएगा भले ही वह व्यक्ति जिसिका आप समर्थन कर रहे हैं, इस बात से सहमत न हो। केवल अपवाद है जब यह उस व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में न हो, या स्टाफ़ के प्रयासों के बावजूद किसी से भी संपर्क नहीं किया जा सकता था।